कार्यालय आयुक्त,
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण,
द्वितीय तल, ''घ'' विंग, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.) 462004
दूरभाष नं. 0755–2553329

क्रमांक / 10 / अ.सं.छा. / प्रीमैछा / 2018–19 / 50 भोपाल,दिनांक 26/07/2018

प्रति,

आयुक्त,
जनसम्पर्क संचालनालय,
बाणगंगा, भोपाल ,
मध्यप्रदेश ।

विषयः—अल्पसंख्यक प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन करने बाबत् विज्ञापन का प्रकाशन समाचार पत्रों में कराने बाबत् ।

———0———

भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र—छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2018—19 में दी जाने वाली प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाना है । प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापन का प्रारूप संलग्न प्रेषित है ।

अतः अनुरोध है कि संलग्न विज्ञापन का प्रकाशन प्रदेश के दैनिक समाचार पत्रों एवं रोजगार निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें, ताकि भारत सरकार के द्वारा निर्धारित तिथि के अन्दर विद्यार्थी आवेदन कर सकें ।

संलग्नः— विज्ञापन का प्रारूप 10 प्रतियों में ।

(रमेश एस थेटे) 26.7.18
आयुक्त,
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण,
मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक / 10 / अ.सं.छा. / प्रीमैछा. / 2018–19 / 51 भोपाल,दिनांक 26/07/2018

प्रतिलिपिः—

1. सचिव,म.प्र.शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. श्रीमती नीवा सिंह, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, 11वीं मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सी.जी.ओ.काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003 की ओर पत्र क्रमांक एफ. नं. 9–33 / 2018–एस.एस.दिनांक 24–7–2018 के संदर्भ में सूचनार्थ।

3. कलेक्टर, जिला समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
4. सहायक संचालक/प्रभारी अधिकारी, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण जिला समस्त की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जिला स्तर से भी उपरोक्त योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार करें तथा समयावधि में आवेदन पत्र नियमानुसार ऑनलाईन अग्रेषण हेतु सभी संस्थाओं को सूचित करें ।

26.7.18

आयुक्त,
O/c पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण,
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण म.प्र.
द्वितीय तल खण्ड–'घ' सतपुड़ा भवन, भोपाल

शैक्षणिक सत्र 2018–19 हेतु अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं के लिये प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

प्रदेश के मूल निवासी अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को भारत में अध्ययन करने के लिये शैक्षणिक सत्र 2018–19 हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक अंतर्गत मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, पारसी एवं जैन समुदायों के छात्र/छात्राओं से भारत सरकार की अल्पसंख्यक प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनांतर्गत भारत सरकार के पत्र क्रमांक No.9-33/2018-SS दिनांक 24.07.2018 के आधार पर कक्षा–1 से 10 तक नवीन/नवीनीकरण विद्यार्थियों के लिये ऑनलाईन आवेदन दिनांक 23/07/2018 से प्रारंभ होकर दिनांक 30.09.2018 तक आमंत्रित किये जाते हैं। छात्रवृत्ति के आवेदन हेतु विद्यार्थियों को भारत सरकार की National Scholarship Portal (NSP) URL – **www.scholarships.gov.in** पर जिसकी लिंक भारत सरकार की वेबसाईट **www.minorityaffairs.gov.in** पर भी उपलब्ध है ऑनलाईन आवेदन भरना होगा। योजना से संबंधित विस्तृत दिशा–निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया National Scholarship **Portal** (NSP) पर उपलब्ध है।

2. छात्रवृत्ति हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे, ऑफलाईन आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

3. भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के लिये वर्ष 2018–19 में प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति के नवीन प्रकरणों हेतु निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। इससे अधिक प्रकरणों में स्वीकृति सामान्यतः भारत सरकार द्वारा नहीं दी जाती है :–

समुदाय	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	कुल योग
लक्ष्य	61253	2736	1942	2772	7274	03	75980

नोट – नवीनीकरण प्रकरणों के लक्ष्य निर्धारित नही है।

4. छात्रवृत्ति के आवेदन ऑनलाईन भरते समय विद्यार्थियो द्वारा वेबसाईट के होम पेज पर उपलब्ध **Frequntly Asked Questions (FAQs)** पर विशेष ध्यान दिया जाये जिससे आवेदन भरते समय गलती न हो।

5. विद्यार्थियों द्वारा 12 अंकों का आधार नम्बर (एच्छिक)/10 अंकों का आधार पंजीयन क्रमांक (EID)/अन्य निम्न पहचान संबंधी दस्तावेजों जिसमें विद्यार्थियों की फोटोग्राफ हो की जानकारी भरी जाये।

i). बैंक पासबुक फोटोग्राफ सहित या ii) राशन कार्ड, या iii) इन्कम टैक्स डिपार्टमेन्ट द्वारा जारी परमानेंट एकाउन्ट नम्बर (पेन कार्ड) या iv) पासपोर्ट या v) स्कूल के हेडमास्टर/प्राचार्य द्वारा जारी एवं प्रमाणित विद्यार्थी का फोटोयुक्त आईडेन्टी कार्ड या vi) मोटर व्हीकल एक्ट 1988 (59 ऑफ 1988) अंतर्गत जारी ड्राईविंग लायसेंस या vii) राज्य शासन द्वारा निर्धारित अन्य दस्तावेज।

6. विद्यार्थियो द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरने के पश्चात् भरे गये पूर्ण आवेदन का एक प्रिन्टआउट अनिवार्य रूप से निकालकर अपने पास सुरक्षित रखा जाए।

7. आवेदन पत्र की प्रत्येक कण्डिकाओं की जानकारी पूर्ण नहीं भरने एवं चाहे गये आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने पर छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।

8. प्रत्येक विद्यार्थी अपना एक ही आवेदन भरें, एक से अधिक बार आवेदन करने पर समस्त आवेदनों को निरस्त माना जायेगा।

9. नवीनीकरण के विद्यार्थी, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2017–18 में राशि प्राप्त हुई है द्वारा नवीनीकरण का आवेदन भरते समय पुराने वर्ष 2017–18 में प्रदत्त एप्लीकेशन आई.डी. का प्रयोग किया जाये।

10. प्रत्येक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था (स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय) द्वारा सुनिश्चित किया जाये कि संस्था का नाम एवं संस्था में संचालित पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से **National Scholarship Portal (NSP)** पर दिनांक 15 अगस्त 2018 तक दर्ज हो ताकि संस्था द्वारा समयावधि में नियमानुसार एवं पात्रतानुसार अध्ययनरत अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के आवेदनों को अग्रिम स्तर के लिये ऑनलाईन फारवर्ड किया जा सके।

11. शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से निरंतर समय–समय पर अपने पासवर्ड बदले जायें तथा उन्हें गोपनीय रखा जाये। संस्था स्तर पर यह कार्य विश्वसनीय अधिकारी/कर्मचारी को ही सौंपा जाये।

12. **शैक्षणिक संस्था की यह जिम्मेदारी है कि वह आवेदक का ऑनलाईन आवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों का (विशेष तौर पर विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल निवास प्रमाण पत्र) पूर्ण रूप से सूक्ष्म निरीक्षण/परीक्षण करने के उपरांत ही नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों के आवेदन समयावधि में ऑनलाईन अपने सत्यापन उपरान्त अग्रिम स्तर के लिये फॉरवर्ड करें। यदि अधूरे आवेदन अग्रेषित किये जाते है तो उनके निरस्त होने की पूर्ण जवाबदारी संस्था की होगी तथा इन प्रकरणों पर पुनः विचार नहीं किया जायेगा।**

Rameshthete

(रमेश एस थेटे)
आयुक्त
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
मध्यप्रदेश

26.7.18